आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 27.01.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए एक वर्ष पूरा, आज वर्षगांठ पर राज्य में मनेगा 'समान नागरिक संहिता दिवस'। संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह नीबूंवाला, देहरादून में आयोजित होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम।
- प्रदेश में समान नागरिक संहिता का संशोधित अध्यादेश लागू। संहिता के प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक एवं दंडात्मक सुधार किए गए।
- गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को पदक अलंकरण कर सम्मानित किया।
- कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर्वतीय महापरिषद लखनऊ के 'उत्तरायणी कौथिग' में हुए शामिल। लोक संस्कृति के संरक्षण में प्रवासी उत्तराखंडियों के योगदान को सराहा।

यूसीसी एक वर्ष

उत्तराखंड में समानता, सुरक्षा और पारदर्शिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम–समान नागरिक संहिता, आज अपने एक वर्ष पूरे कर रही है। 27 जनवरी 2025 को लागू हुई यूसीसी ने राज्य के सामाजिक और कानूनी ढांचे को नई दिशा दी है। विवाह, तलाक और लिव–इन संबंधों से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाकर इसने आम नागरिकों के लिए व्यवस्थाओं को कहीं अधिक सहज बनाया है। एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज प्रदेशभर में "यूसीसी दिवस" मनाया जा रहा है। इसी बीच, राज्य सरकार ने आवश्यक सुधारों के लिए समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 भी लागू कर दिया है, जिसे राज्यपाल की स्वीकृति के बाद तत्काल प्रभाव से प्रभावी किया गया है। एक रिपोर्ट–

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधारों के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू किया है। इन संशोधनों के माध्यम से संहिता के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया गया है, ताकि इसके प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। संशोधन में आपराधिक प्रक्रिया और दंडात्मक प्रावधानों को नई भारतीय संहिताओं के अनुरूप किया गया है, वहीं पंजीकरण से जुड़े अधिकारों और अपील की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है।

यूसीसी के एक वर्ष के दौरान इसका सबसे व्यापक प्रभाव विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में देखने को मिला है। ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से अब पति–पत्नी कहीं से भी विवाह पंजीकरण करा सकते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद बीते एक साल में पांच लाख से अधिक विवाह पंजीकरण पूरे किए जा चुके हैं। पहले यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन थी और इसके लिए सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य होती थी। नई प्रणाली के तहत अब औसतन पांच दिनों के भीतर विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

इस बीच, समान नागरिक संहिता के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज ''यूसीसी दिवस'' के तहत राज्य के सभी जिलों में शहरी और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम और जनसंवाद आयोजित किए जा रहे हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून

यूसीसी दिवस

उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए एक वर्ष पूरा होने पर आज पूरे राज्य में 'समान नागरिक संहिता दिवस' मनाया जाएगा। विभिन्न जनपदों में शहरी और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, जनसंवाद और अन्य आयोजन किए जाएंगे। देहरादून में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह नीबूंवाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। यूसीसी दिवस की तैयारियों के संबंध में सचिव गृह शैलेश बगौली, आईजी निवेदिता कुकरेती एवं जिलाधिकारी सविन बंसल ने बीती सायं कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध, सुव्यवस्थित एवं गरिमापूर्ण ढंग से सुनिश्चित की जाएं। सचिव गृह शैलेश बगौली ने कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिससे सामाजिक समानता, न्याय एवं सुशासन को सुदृढ़ आधार मिला है। यूसीसी के लागू होने से सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित हुआ है और राज्य में एकरूपता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। आज होने वाले कार्यक्रम में बार काउंसिल, स्थानीय बार एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारी एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों में विधि–कानून की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र एवं अन्य गणमान्य भी प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यालयों में आयोजित वाद–विवाद, चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

यूसीसी संशोधन अध्यादेश लागू

उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता का संशोधित अध्यादेश राज्यपाल की स्वीकृति के उपरांत लागू हो गया है। अध्यादेश के माध्यम से संहिता के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक एवं दंडात्मक सुधार किए गए हैं। जिससे समान नागरिक संहिता के प्रभावी, पारदर्शी एवं सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 को लागू किया गया है। धारा 12 के अंतर्गत ''सचिव'' के स्थान पर ''अपर सचिव'' को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है। उप–पंजीयक के निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में प्रकरण स्वतः पंजीयक एवं पंजीयक जनरल को अग्रेषित किए जाने का प्रावधान किया गया है। उप–पंजीयक पर लगाए गए दंड के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान किया गया है और दंड की वसूली भू–राजस्व की भांति किए जाने का प्रावधान जोड़ा गया है। विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत प्रस्तुति को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया है।

विवाह एवं लिव–इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी अथवा विधि–विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। लिव–इन संबंध की समाप्ति पर पंजीयक द्वारा समाप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। अनुसूची–2 में ''विधवा'' शब्द के स्थान पर ''जीवनसाथी'' शब्द का प्रतिस्थापन किया गया है। विवाह, तलाक, लिव–इन संबंध एवं उत्तराधिकार से संबंधित पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति पंजीयक जनरल को प्रदान की गई है। इन संशोधनों का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के प्रावधानों को अधिक स्पष्ट, प्रभावी एवं व्यावहारिक बनाना, प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करना और नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

वंदे मातरम् गायन

गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित गांधी पार्क में सामूहिक वंदे मातरम् गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से निकला वंदे मातरम् स्वतंत्रता आंदोलन का नारा रहा है। जिसने देशवासियों को एक साझा भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान प्रदान की और पीढ़ियों को राष्ट्रप्रेम के सूत्र में बाँधने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि जब गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया तब यह केवल नारा नहीं रहा, बल्कि एकता, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण का सजीव प्रतीक बन गया।

पुलिस अधिकारी सम्मानित

गणतंत्र दिवस पर राजधानी देहरादून स्थित परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को पदक अलंकरण कर सम्मानित किया। कई अधिकारियों को भी उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक लोक नृत्य का मनमोहक प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने छोलिया नृत्य, गढ़वाली नृत्य, पाइप बैंड की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों, शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों और राज्य आंदोलनकारियों को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

उत्तरायणी कौथिग

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर्वतीय महापरिषद लखनऊ के 'उत्तरायणी कौथिग' में शामिल हुए। उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य की मूल संस्कृति पर आधारित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रवासी देश–विदेश के विभिन्न हिस्सों में निवास करते हुए भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। एकता, आपसी समन्वय और सांस्कृतिक चेतना के साथ वे उत्तराखंड की लोक परंपराओं, लोकगीतों, लोकनृत्यों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है।

पद्मभूषण सम्मान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा पर हर्ष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा समस्त उत्तराखंडवासियों के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है।

पूर्व विधायक का निधन

घनसाली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलवीर सिंह नेगी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उन्होंने देहरादून स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से घनसाली क्षेत्र सहित पूरे उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है। बलवीर सिंह नेगी एक अनुभवी और बहुचर्चित राजनीतिक व्यक्तित्व रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के दौर में की। वर्ष 1988 में वे जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बने और लगभग 11 माह तक विधानसभा सदस्य रहे। इसके बाद उत्तराखंड राज्य गठन के बाद भी वे सक्रिय राजनीति में बने रहे। वर्ष 2002 में वे एनसीपी से चुनाव जीतकर घनसाली से विधायक बने। इसके बाद वर्ष 2007 में वे कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। विभिन्न दलों से विधायक रहते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास, सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए निरंतर आवाज उठाई। उनके निधन पर जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है।